

150/2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारी लाल पुरा

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का रूपवास  
व भू.अ.नि. वृत्त कावेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकसू / नायब  
तहसीलदार चाकसू की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जयपुर तहसील चाकसू व जिला जयपुर  
की जमाबंदी सम्वत् 2075 में खाता संख्या 165  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व  
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जयपुर	165	गणेश पुत्र रामकरण	गणेश नाहण पुत्र रामकरण

*[Signature]*  
शिविर प्रभारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू जयपुर।

दि. 17-12-2021

क्रमांक:- 150/2021/3799  
प्रतिलिपि:-

- तहसीलदार, तहसील चाकसू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी श्री गणेश नाहण को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

*[Signature]*  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू जयपुर।